राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक नं. 5, पंचम तल, कमरा नं. 601
जे.एल.एन. मार्ग, ओ.टी.एस. के पास, जयपुर–302017 E-mail: primarypre@yahoo.com

क्रमांक : राजस्कूलशिप / पूर्व प्राथमिक शिक्षा / eF.139/2023-24/7923462 दिनांक 12-06-2024

बालवाटिका संचालित (महात्मा गांधी विद्यालय 1006) विद्यालय
Cleaning Resources (सफाई संसाधन)
दिशा–निर्देश 2024–25

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुपालना में राष्ट्रीय मिशन "निपुण भारत" समस्त राज्यों में चलाया जा रहा है इसके अन्तर्गत छात्रों के समग्र विकास की बात कही गई है। छात्रों के समग्र विकास का पहला लक्ष्य Health and Wellbeing (स्वास्थ्य और भलाई) अर्थात छात्रों के स्वास्थ्य और भलाई के पहलुओ को शिक्षा के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना है। स्कूल की स्वच्छता और साफ–सफाई को प्राथमिकता देकर विद्यार्थियों का सीखना सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षित ओर पोषण देने वाला स्थान / माध्यम प्रदान करना है।

इसी क्रम में विद्यालय और विद्यार्थियों की साफ–सफाई को लेकर 1006 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) में संचालित पूर्व प्राथमिक सेक्शन / बाल वाटिका में स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने हेतु स्वच्छता एवं साफ–सफाई की सुविधाओं के लिए राज्य की समग्र शिक्षा – वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2024–25 में अनुमोदित गतिविधि – Cleaning Resources for Pre primary sections अन्तर्गत सामग्री क्रय हेतु 5000 / – रूपये प्रति स्कूल अनुमोदित है। उक्त राशि को प्रति बालवाटिका के आधार पर जिलों को जारी किया जाना है। उक्त राशि के उपयोग हेतु सामग्री के नमूने, अनुमानित लागत संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते है :–

उद्देश्य :–

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 व NCF-FS 2022 के अनुरूप Health and Wellbeing को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना।
2. शारीरिक स्वास्थ्य, स्वच्छता की आदतों का विकास करना।
3. सुरक्षित और पोषित / स्वच्छ वातावरण प्रदान करना।
4. स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना।

RajKaj Ref
7923462

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.12 01:35:11 IST
Reason: Approved

सत्र के आरम्भ में (एक बार) सामग्री हेतु आवर्ती व्यय प्रावधान

क्र. सं	सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत (रूपए में)	नमूना चित्र	सामग्री का उपयोग
1	हैण्ड वाश–5	500/-		हाथ धोने के लिए उपयोग किया जाये।
2	फिनायल–5	500/-		शौचालय स्वच्छता हेतु उपयोग।
3	कॉटन क्लॉथ क्लीनिंग मॉप–10	600 /-		कॉटन क्लॉथ क्लीनिंग मॉप का उपयोग फर्श की सतह को जल्दी और आसानी से साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाना है।
4	जाला हटाने वाली झाडू–4	400/-		झाडू का उपयोग छत, पंखे, रोशनी और फर्श को साफ करने के लिए किया जा सकता है।
5	डस्टिंग क्लॉथ–10	300/-	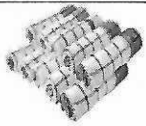	डस्टिंग क्लॉथ लकड़ी, कांच, ग्रेनाइट जैसी कई सतहों से धूल एवं गंदगी को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है।
6	झाडू–8	300/-		झाडू से फर्श और छत की सफाई करना, गंदगी को साफ करना, ऊंचे स्थानों तक पहुंचना और फर्नीचर के नीचे झाडू लगाना शामिल है।
7	डस्टबीन विथ कवर–3	600/-	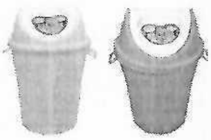	प्लास्टिक कवर, बोटल, चिप्स पैकेट के रैपर, दूध की खाली थैली, मेटल, जार व अन्य प्रकार का हार्ड वेस्ट सहित सुखा कचरा डालने के लिए उपयोग किया जाए।
8	जूते की रेक 5 शेल्फ वाली–2	1000/-		जूता, चप्पल आदि को व्यवस्थित रखने हेतु।
9	अन्य साफ–सफाई हेतु सामग्री	800/-		आवश्यकतानुसार साफ–सफाई की सामग्री क्रय हेतु
	कुल	**5000/-**		

उक्त सामग्री के नमूना चित्र प्रारूपित हैं। आवंटित राशि की सीमा के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार गुणवत्तापूर्ण सामग्री क्रय किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त स्वच्छ वातावरण के निर्माण हेतु अन्य उपयोगी आवश्यक सामग्री व संसाधन भामाशाह के सहयोग से विद्यालय स्तर पर भी क्रय किये जा सकते है।

RajKaj Ref
7923462

Signature valid
Digitally signed by Avimal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.12 01:35:11 IST
Reason: Approved

हमारे दायित्व :–

जिला स्तरीय अधिकारी के रूप में :–

1. समग्र शिक्षा की कार्ययोजना के नियमानुसार राज्य स्तर से निर्देश एवं लिमिट प्राप्त होते ही 7 दिवस में ब्लॉक स्तर को लिमिट जारी करते हुए विद्यालय स्तर पर सामग्री क्रय कराया जाना सुनिश्चित करना।
2. ब्लॉक एवं विद्यालयों तक दिशानिर्देशों की पहुँच सुनिश्चित करना।
3. सत्र के आरम्भ में निर्देशित गुणवत्ता एवं मानकों के अनुसार सामग्री क्रय कराया जाना सुनिश्चित करना।

ब्लॉक स्तरीय अधिकारी के रूप में :–

1. समग्र शिक्षा की कार्ययोजना के नियमानुसार समय पर राशि के उपयोग हेतु लिमिट जारी कराना।
2. क्लस्टर एवं विद्यालयों तक सत्र के आरम्भ में निर्देशित दिशानिर्देशों अनुसार गुणवत्ता एवं मानकों के अनुसार सामग्री क्रय कराया जाना।

क्लस्टर स्तरीय अधिकारी एवं संस्थाप्रधान के रूप में :–

1. विद्यालय स्तर पर एसएमसी/एसडीएमसी में प्रस्ताव लेकर गुणवत्ता युक्त सामग्री क्रय करना।
2. परिक्षेत्र के विद्यालयों तक दिशानिर्देशों की पहुँच एवं सामग्री क्रय को सुनिश्चित करना।
3. स्वच्छता हेतु क्रय की गई सामग्री का उपयोग शौचालय एवं विद्यालय परिसर की साफ–सफाई हेतु किया जाना सुनिश्चित करना।

विशेष :–

- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जाये, व्यय उसी मद में ही किया जाए।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में राशि प्राप्ति के 15 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- कार्यक्रम अन्तर्गत व्यय राशि को PRABANDH Portal (https://samagrashiksha.in) पर तत्काल बुक कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- राशि का उपयोग योजना के दिशानिर्देश, शिक्षा मंत्रालय की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- सामग्री का क्रय राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार कर, स्थायी, अस्थायी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करवाकर सामग्री का सदुपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- सामग्री क्रय के उपरान्त निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण–पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

RajKaj Ref
7923462

Signature valid

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.12 01:35:11 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, निदेशक, प्राशि एवं माशि, राजस्थान–बीकानेर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्कूलशिप–जयपुर।
4. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम, राजस्कूलशिप, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, रास्कूलशिप, जयपुर।
6. उपायुक्त–प्रथम, राजस्कूलशिप, जयपुर।
7. उपायुक्त–स्टार्स, राजस्कूलशिप, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
9. उपनिदेशक–शाला दर्पण, राजस्कूलशिप, जयपुर को प्रति भेजकर लेख है कि उक्त दिशा–निर्देश शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से प्रसारित किया जाना सुनिश्चित करावें।
10. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक – समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
11. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
12. संस्थाप्रधान – संबंधित विद्यालय।
13. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

RajKaj Ref
7923462

Signature valid

Digitally signed by Avichal
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.12 21:35:11 IST
Reason: Approved

प्रारूप–1

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक ....

क्रमांक दिनांक

उपयोगिता प्रमाण–पत्र (जिला स्तर)

बालवाटिका विद्यालय हेतु Cleaning Resources (सफाई संसाधन)

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	चयनित विद्यालयों की संख्या	प्राप्त लिमिट (राशि)	Cleaning Resources (सफाई संसाधन) सामग्री क्रय करने वाले विद्यालय की संख्या	Cleaning Resources (सफाई संसाधन) सामग्री क्रय नही करने वाले विद्यालय की संख्या	व्यय राशि	शेष राशि	शेष का कारण
1									

हस्ताक्षर प्रभारी **हस्ताक्षर एडीपीसी**

उक्त प्रपत्र जिला स्तर से समेकित कर राज्य स्तर को प्रेषित किया जाये।

प्रारूप–2

कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी .... जिला ....

क्रमांक दिनांक

उपयोगिता प्रमाण–पत्र (ब्लॉक स्तर)

बालवाटिका विद्यालय हेतु Cleaning Resources (सफाई संसाधन)

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	चयनित विद्यालयों की संख्या	प्राप्त लिमिट (राशि)	Cleaning Resources (सफाई संसाधन) सामग्री क्रय करने वाले विद्य ालय की संख्या	Cleaning Resources (सफाई संसाधन) सामग्री क्रय नही करने वाले विद्य ालय की संख्या	व्यय राशि	शेष राशि	शेष का कारण
1								

हस्ताक्षर प्रभारी **हस्ताक्षर सीबीईओ**

उक्त प्रपत्र ब्लॉक स्तर से समेकित कर जिला स्तर को प्रेषित किया जाये।

RajKaj Ref 7923462

Signature valid

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.12 01:35:11 IST
Reason: Approved

प्रारूप–3

कार्यालय .... ब्लॉक .... जिला...
क्रमांक दिनांक

उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर)

बालवाटिका विद्यालय हेतु Cleaning Resources (सफाई संसाधन)

क्र. सं.	क्लस्टर का नाम	चयनित विद्यालयों का नाम	प्राप्त लिमिट (राशि)	Cleaning Resources (सफाई संसाधन) सामग्री क्रय करने वाले विद्यालय की संख्या	Cleaning Resources (सफाई संसाधन) सामग्री क्रय नही करने वाले विद्यालय की संख्या	व्यय राशि	शेष राशि	शेष का कारण
1								

हस्ताक्षर प्रभारी **हस्ताक्षर संस्था प्रधान**

उक्त प्रपत्र क्लस्टर स्तर से समेकित कर ब्लॉक स्तर को प्रेषित किया जाये।

RajKaj Ref
7923462

Signature valid
Digitally signed by Avichal
Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.12 01:35:11 IST
Reason: Approved